

भागीरथ बनाम वरेंगल
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख
हुक्म

08.02.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय लघु पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् वादी भागीरथ एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8/2, 8/3, 8/4 एवं 9 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 8/2, 8/3, 8/4 व 9 को एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा मृत्तक वादी तथा मृत्तक प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 8/2, 8/3, 8/4 व 9 को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादी संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश करें। वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक वाद पत्र एवं पेश होने सम्मन तलबाना बाबत तलबी कायम मुकामान् व शेष प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 23.02.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (श्रीमाधव सिंह सीकर)